न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आर. ए. एस.

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./43/2024/बालोतरा

अपीलांटरा	रेस्पोडेंटगण
रावताराम पुत्र प्रभूराम जाति जाट, निवासी महादेवपुरा कमठाई, तहसील सिणधरी जिला बालोतरा	1. निम्बाराम पुत्र लाधाराम का.मु. 1/1हरखूदेवी पत्नी निम्बाराम 1/2रामाराम पुत्र निम्बाराम 1/3अणसीदेवी पुत्री निम्बाराम 1/4चूनीदेवी पुत्री निम्बाराम 2. खीयाराम पुत्र लाधाराम 3. सालूराम पुत्र लाधाराम 4. रामाराम पुत्र जेठाराम 5. जीयाराम पुत्र जेठाराम 6. रम्भादेवी पत्नी जेठाराम सभी जातियान जाट निवासीयान महादेवपुरा कमठाई, तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर वर्तमान बालोतरा प्रफोमा उत्तरदातागण 7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिणधरी 8. प्रबन्धक एसबीबीजे हाल एसबीआई शाखा सिणधरी 9. प्रबन्धक जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा सिणधरी

अपोल अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर, सिणधरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 51/2019 बउनवान निम्बाराम का.मु. हरखूदेवी वगैरह बनाम रावताराम वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.02.2024 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री पूनमाराम चौधरी अपीलांट की ओर से।
2. वकील श्री अमृतलाल जैन उतरदाता संख्या 1/1 से 06 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—05.06.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 के संयुक्त पैतृक व पुश्तैनी खातेदारी अधिकारों व कब्जा काश्त की भूमि मौजा महादेवपुरा, पटवार क्षेत्र कमठाई में खसरा संख्या 31 रकबा 09 बिस्वा, खसरा संख्या 32 रकबा 163.18 बीघा, खसरा संख्या 104 रकबा 29.15 बीघा कुल रकबा 194.02 बीघा आये हुए है। उक्त भूमि तत्समय में लाधा व गोमा को बन्ना से प्राप्त हुई, लाधु व गोमा के नाम पर्चा लगान जारी किया गया, गोमा पुत्र बन्ना के जायंदा कोई

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

संतान नहीं थी, गोमा लाऔलाद व अविवाहित फौत हो गया, इस कारण गोमा पुत्र बन्ना के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार प्रथम श्रेणी का कोई वारिस जीवित नहीं था, इस कारण गोमा पुत्र बन्ना की मृत्यु की समय द्वितीय श्रेणी के वारिसान में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 ही जीवित थे, विरासत का जो म्यूटेशन भरा गया, उसमें प्रतिवादी संख्या 01 ने गोमा का फर्जी रूप से वारिस बताते हुए राजस्व कर्मचारियों के साथ मिलीभगत कर अपने अकेले के नाम म्यूटेशन पारित करवा दिया, जबकि प्रतिवादी संख्या 01 कभी भी गोमा का गोदपुत्र नहीं था। गोमा पुत्र बन्ना ने स्वतंत्र सहमति से कोई गोदनामा प्रतिवादी संख्या 01 के पक्ष में निष्पादित नहीं किया, प्रतिवादी संख्या 01 चालाक व्यक्ति होने के कारण अपने नाम गोमाराम का संपूर्ण हिस्सा दर्ज करवा दिया गया, जबकि उक्त भूमि में वादीगण संख्या 1/3 प्रत्येक का 1/5 हिस्सा, वादी संख्या 04 से 06 का 1/5 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 01 का 1/5 हिस्सा था। इसलिए वादीगण द्वारा हस्तगत वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। उपरोक्त वाद में अपीलांट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना पारित किया गया। अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत दूसरे पक्ष को भी सुनो का घोर मनमान उल्लंघन किया गया। अपीलाधीन आराजी पर अपीलकर्ता मौके पर काबिज रहकर काश्त कर रहा है तथा मौके पर रहवासीय ढाणी, आवागमन के रास्ते, पानी के टांके, पशुओं के बाड़ विद्यमान है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपने अपीलाधीन निर्णय में संप्रेषण किया कि प्रतिवादी/अपीलांट को सुनवाई हेतु कई अवसर दिये, फिर भी उपस्थित नहीं होने से जिरह का अवसर बंद किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने जो जबावदावा प्रस्तुत किया, उसमें स्पष्ट रूप से यह एतराज किया गया कि राजस्व न्यायालय में गोद का बिंदू न तो उठाया जा सकता है और न ही गोद जो उत्तराधिकारी का बिंदू है को तय करने का

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

क्षेत्राधिकार ही राजस्व न्यायालय को प्राप्त है। इस कारण मूल वाद ही न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का नहीं है। गोमाराम अविवाहित नहीं थे, गोमाराम ने शादी की थी, शादी के थोड़े समय वाद ही गोमाराम की पत्नी का देहांत हो गया था, गोमाराम के जायंदा संतान नहीं थी, इस कारण सामाजिक रिति–रिवास एवं प्रथा, रूढियों के अनुसार गोमाराम ने अपने जीवनकाल में स्वेच्छा से अपीलांट के पिता प्रभूराम को गोद लिया था तथा लाधाराम ने प्रभूराम को गोमाराम के गोद दिया था, जिसकी पूर्ण रस्में निभायी गयी, जिसके आधार पर निर्वाचन नामावली सन 1971 में अपीलांट के पिता प्रभूराम की वल्दियत गोमाराम दर्ज की हुई है। प्रभूराम के जन्मदाता पिता लाधाराम के नाम जो भूमियां दर्ज थी, तदोपरांत लाधाराम का देहांत हुआ उसमें लाधाराम की भूमियों में अपीलांट के पिता प्रभूराम का नाम फौतगी म्यूटेशन में दर्ज नहीं हुआ। क्योंकि प्रभूराम, गोमाराम के गोद जा चुका था, प्रभूराम का देहांत गोमाराम के जीवनकाल में हो जाने से प्रतिवादी/अपीलांट का नाम गोमाराम की भूमि में दर्ज किया गया, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त विंदू पर कोई गौर नहीं कर क्षेत्राधिकार से वाहर जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। राजस्व रेकर्ड में दर्ज खातेदारी की प्रविष्टियों को वादीगण/उत्तरदाता ने सही होना स्वीकार कर अपने हिस्से पर संवंधित वैंकों से ऋण भी प्राप्त किया, उस वक्त वादग्रस्त भूमि के रेकर्ड में दर्ज अशुद्ध हिस्सा वावत कोई आपत्ति नहीं की गई और न कोई ऐसा उज्र ही किया। वादीगण द्वारा राजस्व रेकर्ड में अपीलांट का 1/2 हिस्सा दर्ज खातेदार स्वीकार किया गया। ऐसी स्थिति में वादीगण की संस्वीकृति के विपरीत अन्य कोई कथन करने से विवंधित है। गोमाराम के अन्य भाई भी है, जो द्वितीय श्रेणी में उत्तराधिकारी है, जिन्हे वादीगण ने पक्षकार तक नहीं वनाया है। अपीलांट को अपनी तरफ से साक्ष्य सवूत पेश करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। अपीलांट को जिरह का अवसर नहीं दिया गया। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संपूर्ण कार्यवाही आनन–फानन में तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत दूसरे पक्ष को सुनो का घोर उल्लंघन करते हुए पारित किया गया। आदेशिका दिनांक 07.02.2024 में वादीगण के गवाहान उपस्थित हो, उसका भी कोई उल्लेख आदेश आदेशिका में नहीं है, यदि गवाहान उपस्थित होते तो उनके हस्ताक्षर पत्रावली की आदेशिका दिनांक 07.02.2024 में दर्ज होते। हस्तगत वाद में संपूर्ण कार्यवाही पुरानी तारीखों में मिलावट के तौर पर अपीलांट को नुकसान पंहुचाने की मंशा की गई। हस्तगत अपील एक युक्तिसंगत प्रकरण है, जिसमें माननीय न्यायालय का विधिक हस्तक्षेप न्यायहित में आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो दस्तावेजात अपीलांट/वादीगण ने वाद पत्र के साथ प्रस्तुत किये, ऐसे दस्तावेजात का सही रूप से न तो अवलोकन अध्ययन किया और न ही सही परिपेक्ष में पढा ही

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

गया, मात्र लीपा पोती करने एवं निर्णीत प्रकरणों की एक संख्या बढाने हेतु अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अशुद्ध तथ्यों पर पारित किया गया। उक्त तथ्यों पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई गौर नहीं कर विधि एवं तथ्यों की भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि के प्रतिकूल जाकर पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 1/1 से 06 ने अपनी बहस करते हुए निवेदन किया कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 के संयुक्त पैतृक व पुश्तैनी खातेदारी अधिकारों व कब्जा काश्त की भूमि मौजा महादेवपुरा, पटवार क्षेत्र कमठाई में खसरा संख्या 31 रकबा 09 बिस्वा, खसरा संख्या 32 रकबा 163.18 बीघा, खसरा संख्या 104 रकबा 29.15 बीघा कुल रकबा 194.02 बीघा आये हुए है। उक्त भूमि तत्समय में लाधा व गोमा को बन्ना से प्राप्त हुई, लाधु व गोमा के नाम पर्चा लगान जारी किया गया, गोमा पुत्र बन्ना के जायंदा कोई संतान नहीं थी, गोमा लाऔलाद व अविवाहित फौत हो गया, इस कारण गोमा पुत्र बन्ना के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार प्रथम श्रेणी का कोई वारिस जीवित नहीं था, इस कारण गोमा पुत्र बन्ना की मृत्यु की समय द्वितीय श्रेणी के वारिसान में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 ही जीवित थे, विरासत का जो म्यूटेशन भरा गया, उसमें प्रतिवादी संख्या 01 ने गोमा का फर्जी रूप से वारिस बताते हुए राजस्व कर्मचारियों के साथ मिलीभगत कर अपने अकेले के नाम म्यूटेशन पारित करवा दिया, जबकि प्रतिवादी संख्या 01 कभी भी गोमा का गोदपुत्र नहीं था। गोमा पुत्र बन्ना ने स्वतंत्र सहमति से कोई गोदनामा प्रतिवादी संख्या 01 के पक्ष में निष्पादित नहीं किया, प्रतिवादी संख्या 01 चालाक व्यक्ति होने के कारण अपने नाम गोमाराम का संपूर्ण हिस्सा दर्ज करवा दिया गया, जबकि उक्त भूमि में वादीगण संख्या 1/3 प्रत्येक का 1/5 हिस्सा, वादी संख्या 04 से 06 का 1/5 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 01 का 1/5 हिस्सा था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अपीलार्थी ने प्रकरण के गुणावगुण के स्थान पर प्रक्रियागत त्रुटि निकालने का प्रयास कर अपीलाधीन निर्णय को विधि विरूद्ध बताने का प्रयास किया है जो न्याय संगत नहीं है। न्याय शास्त्र के मूल सिद्धांत के अनुसार प्रक्रिया विधि न्याय तक पहुंचने का माध्यम मात्र है। इसलिए प्रक्रियागत त्रुटि बताकर गलत रूप से भूमि हडपने की अपीलार्थी द्वारा की गई कार्यवाही को अपीलाधीन निर्णय को दूषित बताकर न्याय संगत नहीं ठहराया जा सकता। अपीलाधीन प्रकरण में वादी की साक्ष्य के समक्ष

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपीलार्थी के अधिवक्ता के उपस्थित नहीं होने की परिस्थितियों में उनके प्रति परीक्षण का अवसर तथा प्रतिवादी साक्ष्य बंद करने का आदेश विधि विरूद्ध नहीं माना जा सकता। राष्ट्रीय स्तर पर लम्बी एवं जटिल न्यायिक प्रक्रिया के चलते न्यायालयों में लगे मुकदमों के अंबार से सम्पूर्ण न्याय प्रशासन त्रस्त है तो ऐसी परिस्थितियों में अपीलार्थी की अनुपस्थित में प्रति परीक्षण का अवसर बंद कर इनकी साक्ष्य बन्द कर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर पारित अपीलाधीन निर्णय को विधि विरूद्ध मानने का न्यायोचित कारण नहीं है। अपीलार्थी द्वारा गोदनामा प्रस्तुत कर प्रमाणित नहीं कराने तथा गोद लेने बाबत किसी प्रकार की साक्ष्य दस्तावेज पेश नहीं करने की सूरत में गोद लिये जाने के तथ्य प्रमाणित नहीं होते तथा उस आधार पर वादीगण का वाद डिक्री किया जाना विधि विरूद्ध नहीं माना जा सकता। गोदनामा बाबत् किसी प्रकार की साक्ष्य नहीं होने पर भी अपीलार्थी द्वारा उत्तरदाता के खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत् प्रस्तुत वाद को अधीनस्थ न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता का नहीं माने जाने का आक्षेप पूर्णतया विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते वक्त अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पूर्ण पालन करते हुए पारित की गई। अतः अपीलांट की अपील मय खर्चा खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलांटगण/वादीगण ने हस्तगत वाद को पैतृक भूमि होने का कथन करते हुए पेश किया गया जबकि इस बिंदु का निस्तारण साक्ष्य सबूत के आधार पर ही किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व एकपक्षीय साक्ष्य सबूत पेश किये जिसका विवेचन विधि सम्मत नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से यह भी स्थापित है कि प्रभूराम अपने प्राकृतिक पिता लाधाराम के जीवनकाल में गोद जाने के कथन अपीलांट द्वारा किये गये। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के मुताबिक उसके प्राकृतिक पिता लाधाराम की मृत्यु गोद पिता गोमाराम से पहले हो गई थी एवं गोमाराम का देहान्त बाद में हुआ। लाधाराम के फौत होने पर प्रभूराम का नाम फौतगी म्यूटेशन में दर्ज नहीं हुआ। प्रभूराम का देहांत गोमाराम के जीवनकाल में हो जाने से अपीलांट का नाम गोमाराम की भूमि में दर्ज किया गया। उक्त बिंदु पर साक्ष्य ली जानी आवश्यक है कि प्रभूराम, गोमाराम का

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

गोद पुत्र नहीं होता तो उसे उसके प्राकृतिक पिता के खेतों में अवश्य खातेदारी मिलती जो नहीं मिली है क्योंकि धारा 12 हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार दत्तक अपत्य का गोद जाने की दिनांक से अपने प्राकृतिक पिता से संबंधित संपति में अधिकार समाप्त हो जाते है। उक्त तथ्य का विवेचन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांट की अनुपस्थिति में एकतरफा पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात पर एकतरफा विवेचन किया गया जो विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय वाद की सुनवाई हेतु निर्धारित प्रक्रिया (Procedure) का पालन नहीं किया गया। अपीलांट/प्रतिवादी को सुनवाई का मौका भी नहीं दिया गया है। अतः अभिलेख पर प्रकट इन सब तथ्यों को देखते हुए अपीलांट की अपील को वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विचारण हेतु संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही पूर्ण कर गुणावगुण पर निर्णीत किये जाने हेतु रिमाण्ड करना उचित समझता हूँ।

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, सिणधरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 51/2019 बउनवान निम्बाराम का.मु. हरखूदेवी वगैरह बनाम रावताराम वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.02.2024 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य सबूत पेश करने, सुनवाई का समुचित अवसर देकर, वाद में कायम तनकीयात का विधि सम्मत विवेचन करते हुए गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। तहसीलदार सिणधरी को निर्देशित किया जाता है कि वह राजस्व रिकॉर्ड में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से पूर्व की स्थिति बहाल करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 23.07.2025 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

5/6/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 05.06.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

5/6/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर